न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 118/2019

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. लक्ष्मण पुत्र मेघराज जाति जाट
2. श्रवण पुत्र हरकरण
3. पुसा पुत्र हरकरण
4. गंगा देवी पुत्री हरकरण
5. छोटी देवी पुत्री हरकरण
6. मनभर देवी पुत्री हरकरण
7. हीरा देवी पुत्री हरकरण
8. मीरा देवी पुत्री हरकरण
9. श्रीमती गणेशी देवी पत्नि रतनलाल
10. विश्राम पुत्र सुजा
11. गोरधन पुत्र सुजा
12. कल्याण पुत्र जगन्नाथ
13. रामलाल पुत्र जगन्नाथ
14. रूकमा पुत्री जगन्नाथ
15. धापु देवी पत्नि श्योजी
16. मंगलचन्द पुत्र श्योजी
17. उमराव पुत्र श्योजी
18. नोसर पत्नि गोपीलाल
19. राजेन्द्र पुत्र गोपीलाल
20. सुमित्रा पुत्री गोपीलाल
21. रेखा पुत्री गोपीलाल
22. आरती पुत्री गोपीलाल
23. केसर देवी पत्नि कानाराम
24. ज्ञानचन्द पुत्र कानाराम
25. धर्मेन्द्र पुत्र कानाराम
26. कमलेश पुत्री कानाराम
    सर्व जाति जाट सर्व निवासीगण ग्राम तिलोनिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर
27. शाखा प्रबन्धक युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा तिलोनिया

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 व 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956

दिनांकः 28/11/2019

उपस्थितः प्रार्थी
अप्रार्थीगण एक पक्षीय कार्यवाही

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 व 136 के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

Scanned by CamScanner

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि ग्राम तिलोनिया पटवार हल्का तिलोनिया तहसील किशनगढ़ स्थित ख0नं0 1074/327 रकबा 04–15–10 भूमि में जमाबन्दी अनुसार अप्रार्थी सं0 1 का 1/8 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 2 व 3 का 2/21 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 4 लगायत 8 का 5/168 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 9 का 1/8 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 10 व 11 का 402/2930 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 12 व 13 का 14/144 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 14 का 1/144 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 15 लगायत 17 का 7/144 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 18 का 16/720 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 19 का 16/720 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 20 लगायत 22 का 3/720 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 23 का 1/164 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 24 व 25 का 2/64 हिस्सा एवं अप्रार्थी सं0 26 का 1/576 हिस्सा अधिकार अभिलेख में इन्द्राज है। उपरोक्त आराजी में पूर्ववर्ती जमाबन्दी सम्वत् 2059 से 2062 के खाता संख्या 137 में दर्ज नामान्तकरण संख्या 608 दिनांक 08.02.2007 अनुसार बंटवारा दर्ज कर नवीन खसरा नम्बर 1074/327 रकबा 04–15–10 में खातेदारी के जो हिस्से दर्ज किये गये जो गलत दर्ज किये गये है। जिन्हे इन्द्राज दुरूस्ती किया जाकर शुद्ध किया जाना आवश्यक है। नामान्तकरण संख्या 608 दिनांक 08.02.2007 अनुसार मूल खसरा नम्बर 327 रकबा 07–08–10 में किये गये बंटवारे अनुसार अप्रार्थी सं0 9 गणेशी देवी पत्नि रतनलाल को मूल खसरा नम्बर 327 में से अपने हिस्से की भूमि पृथक खसरा नम्बर 1075/327 रकबा 00–18–00 दर्ज कर प्रदान की गई है। परन्तु खसरा नम्बर 1074/327 रकबा 04–15–10 में भी अप्रार्थी सं0 9 का नाम वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज कर दिया गया है। जिसको तर्क किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में सेग्रीगेशन का कार्य राज्य सरकार के आदेशानुसार किया जा रहा है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के बिन्दू सं0 1 में वर्णित आराजीयात् का पैरा सं0 2 में वर्णित हिस्से को इन्द्राज दुरूस्त कर पैरा सं0 4 में वर्णित हिस्से अनुसार संलग्न दस्तावेज अनुसार अप्रार्थीगण का हिस्सा निर्धारण कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त कर हिस्सा निर्धारण किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

3. अप्रार्थी को नोटिस वास्ते जाहिर करने वहज (Civil Procedure Code Appendix B, Form No. 2) के तहत् जारी किये गये। अप्रार्थी सं0 9 की ओर से वकील श्री रतनलाल चौधरी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा अप्रार्थी सं0 1 लगायत 8 व 10 लगायत 27 के बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं हुए। अतः अप्रार्थी सं0 1 लगायत 8 व 10 लगायत 27 के विरूद्ध दिनांक 19.09.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही

Scanned by CamScanner

की गई। अप्रार्थी सं0 9 की ओर से जवाब पेश नहीं कर प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार कार्यवाही करने में अपनी सहमती व्यक्त की गई।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया। अप्रार्थी सं0 9 द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार कार्यवाही किये जाने बाबत् सहमती व्यक्त की गई है। अप्रार्थी सं0 9 गणेशी देवी पत्नि रतनलाल को मूल खसरा नम्बर 327 में से अपने हिस्से की भूमि पृथक खसरा नम्बर 1075/327 रकबा 00–18–00 दर्ज कर प्रदान की गई है। परन्तु खसरा नम्बर 1074/327 रकबा 04–15–10 में भी अप्रार्थी सं0 9 का नाम वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज कर दिया गया है जो गलत है। अतः तहसीलदार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ को ग्राम तिलोनिया स्थित खसरा नम्बर 1074/327 रकबा 04–15–10 भूमि के राजस्व रिकार्ड से अप्रार्थी सं0 9 गणेशी देवी पत्नि रतनलाल का नाम हटाने तथा प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 4 में वर्णितानुसार खसरा नम्बर 1074/327 रकबा 04–15–10 भूमि में अप्रार्थी सं0 1 का 375/1910 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 2 लगायत 8 का संयुक्त रूप से 375/1910 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 10 व 11 का 410/1910 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 12 का 125/1910 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 13 का 125/1910 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 14 का 125/1910 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 15 लगायत 17 का संयुक्त रूप से 125/1910 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 18 लगायत 22 का संयुक्त रूप से 125/1910 हिस्सा एवं अप्रार्थी सं0 23 लगायत 26 का संयुक्त रूप से 125/1910 हिस्सा अधिकार अभिलेख में इन्द्राज करने एवं वादग्रस्त कृषि भूमि का पूर्ण सीमांकन कर प्रचलित राजस्व नक्शे में तरमीम करने के आदेश जारी किये जाते है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 28/11/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2019.12.24 17:56:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: